

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1272]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 1272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

का.आ. 1408(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मार्च, 2018 से फरवरी, 2019 के बीच में एक जीवीओ रिएक्टर के अदानी पोर्ट, दहेज, गुजरात से गुजरात रिफाइनरी प्लांट, बदोदरा, गुजरात तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार / कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है—

अनुसूची

- 1. मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई, उपरोक्त यातायात के लिए मैं. एल एण्ड टी हेती इंजिनीयरिंग, हजीरा के लिए यातायात कम्पनी है।
- 2. प्राईम मूवर्स (ट्रेक्टर)ः उपरोक्त कंसाईनमेंट के परिवहन में निम्नलिखित आठ प्राईम मूवर्स इस्तेमाल किए जाऐंगे :

क0सं0	ट्रेक्टरों का पंजीकरण संख्या	मेक	पंजिकृत स्वामी
1.	जीजे12बीवी 0415	वोल्वो	मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया
2.	जीजे12बीवी 0015	वोल्वो	प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
3.	एमएच06एसी 5750	वोल्वो	
4.	एमएच०६एक्यू १२८९	वोल्वो	
5.	एमएच06एसी 5416	वोल्वो	
6.	एमएच४६एच 106४	वोल्वो	
7.	एमएच०६एक्यू १२९०	वोल्वो	
8.	जीजे12एजेड 3302	वोल्वो	

उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:

1883 GI/2018 (1)

कम सं0	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की संख्या	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	ट्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन प्रमाण–पत्र के अनुसार (टनों में)	पंजिकृत स्वामी
1.	जीजे 12 एटी 7526	4	32	104	मे. बोक्सको
2.	जीजे 12 एटी 7528	4	32	104	लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट
3.	जीजे 12 जेड 0140	4	32	104	लिमिटेड, मुम्बई
4.	जीजे 12 जेड 0139	4	32	104	
5.	जीजे 12 एटी 7530	8	64	208	
6.	जीजे 12 जेड 0138	6	48	156	
7.	जीजे 12 एटी 9598	8	64	208	
8.	जीजे 12 जेड 4079	4	32	104	
9.	जीजे 12 जेड 4076	4	32	104	
10.	जीजे 12 एटी 9596	8	64	208	
11.	जीजे 12 जेड 0137	4	32	104	
12.	जीजे 12 जेड 3452	6	48	156	
13.	जीजे 12 जेड 3453	6	48	156	

4. वाहन और भार विन्यासः लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :--

खाली भार (टन)	स्टेटर्स का भार(टन)	धूरियों का कुल सकल भार	I	चौड़ाई एवं लम्बाई में धूरियां को जोड़ने का विवरण
16(1+1/2) खाली धूरी पंक्ति का भारः 115.2 टन	406.25 ਟਜ	521.25 टन	26770 X 6500 X 6600	1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 16 धूरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई में जोड़ा जाएगा (एक धुरी पंक्ति में 12 टायर) ।

- उपर्युक्त छूट इन भार्ती के अध्यधीन है:—
- (i) उपरोक्त जीवीओ रिएक्टर के यातायात हेतु विभोष रास्ता अदानी पोर्ट, दहेज दहेज पोर्ट जंक्भान आमोद जंक्भान बारसाद जंक्भान —पारदा — गेंदा सर्किल — कायली जंक्भान — विदुमेन गेट जंक्भान — आईओसीएल विदुमेन गेट 2 है।
- (ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमित ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बित्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक–एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) केवल उपरोक्त चार फेरे के लिए ट्रेलरों को चौड़ाई में जोड़ने की अनुमित है।
- (v) मैं. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम—से—कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।
- (vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देभा दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमित नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (vii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई को बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विभोष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेभा के प्राधिकारियों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्रधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।

- (viii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (ix) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी. / घटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (x) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए /पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही—सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xi) सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भृगतान करने के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी।
- (xii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परिमट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiv) कन्साइंमेट के यातायात हेतु समायोजन में दो प्राईम मूवर एवं 16 पंक्तियाँ, (1+1/2) धूरी प्रत्येक पंक्ति में होगी।
- (xv) ट्रेलरों के यातायात हुतुं चौड़ाई में धूरियों को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाई पास बनाना या अन्य उपाय किए जाएगें।
- (xvi) ट्रेलरों एवं प्राईम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पंजीकृत हैं।
- (xvii) किसी भी अन्य वाहन मालिकों से लिए वाहनों एवं वाहनों के पार्ट्स के संबंध में उत्पन्न मुद्दों का दायित्व मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई का होगा।
- (xviii) कंसाईन्मेंट के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकृति का कोई भी उठे मुद्दे के लिए मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई जिम्मेवार होगा।

[फा. सं. आर.टी—11042 / 07 / 2018—एम.वी.एल.] अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018.

S.O. 1408(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of one GVO Reactor during the period from March, 2018 to February, 2019 from Adani Port Dahej, Gujarat to Gujarat Refinery Plant Vadodra, Gujarat by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

- 1. M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s L&T Heavy Engineering, Hajira, for the aforesaid movement.
- 2. Prime Movers (Tractors): Total 8 (Eight) prime movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:

Sl. No.	Registration No.	Make	Registered Owner
	of Tractor		
1.	GJ12 BV 0415	Volvo	M/s. Boxco Logistics India Pvt.
2.	GJ12 BV 0015	Volvo	Ltd., Mumbai
3.	MH06 AC 5750	Volvo	
4.	MH06 AQ 1289	Volvo	
5.	MH06 AC 5416	Volvo	
6.	MH46H1064	Volvo	
7.	MH06AQ1290	Volvo	
8.	GJ12AZ3302	Volvo	

3. The following independently registered Hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl.	Registration No.	No. of	No. of	GVW sanctioned/	Registered Owner
No.	of Trailers	Axles in	Tyres in	mentioned in RC of	
		Trailers	Trailers	Trailers (in Ton)	
1.	GJ 12 AT 7526	4	32	104	M/s Boxco Logistics India
2.	GJ 12 AT 7528	4	32	104	Pvt. Ltd., Mumbai
3.	GJ 12 Z 0140	4	32	104	
4.	GJ 12 Z 0139	4	32	104	
5.	GJ12AT7530	8	64	208	
6.	GJ 12 Z 0138	6	48	156	
7.	GJ 12 AT 9598	8	64	208	
8.	GJ 12 Z 4079	4	32	104	
9.	GJ 12 Z 4076	4	32	104	
10.	GJ 12 AT 9596	8	64	208	
11.	GJ 12 Z 0137	4	32	104	
12.	GJ 12 Z 3452	6	48	156	
13.	GJ 12 Z 3453	6	48	156	

4. Vehicle and Load Configuration:- GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen Weight in Tons	Weight of Consignment		. ,	
	in Tons		(length x Width x Height)	
Unladen weight of 16 Nos. (1+1/2) axle: 115.2 Tons	406.25 tons	521.45 tons	26770 x 6500 x 6600	16 axle rows having 1+1/2 axles in each row (equivalent to total 24 axle rows in common parlance). Will be coupled in 1+1/2 axle width(12 tyres per axle row).

- 5. The above relaxation is subject to the conditions that :-
- (i) The specific route for transportation of GVO Reactor will be from Adani Port, Dahej Dahej Port Junction Amod Junction Barsad Junction Parda Genda Circle Koyli Junction Bitumen Gate Junction IOCL Bitumen Gate-2.
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road will be permissible only for above movement.
- (v) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (vii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would need to obtain permission before moving, from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India en route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 10 kms/hour.

- (x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.
- (xi) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiii) Company will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized in the above movements.
- (xiv) Each set of vehicles for transportation of consignment, will consist of two Prime Movers and 16 rows of (1+1/2) axles in each row.
- (xv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xvi) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Gujarat and Maharashtra.
- (xvii) In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai shall be responsibility for the same.
- (xviii) Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai

[F. No. RT-11042/ 07/2018-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.